



पत्रांक-आर/जीएडी/समिति/56/39666

दिनांक -05 दिसम्बर, 2017

आज/अतिआवश्यक

प्राचार्या, महिला महाविद्यालय,  
समस्त संस्थानों के निदेशक,  
समस्त संकायों के संकाय प्रमुख,  
समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष,  
समस्त केन्द्रों के समन्वयक,  
समस्त छात्रावासों के प्रशासनिक संरक्षक/समन्वयक,  
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।



महोदय/महोदया,

अधिसूचना संख्या आर/जीएडी/समिति/56/37840, दिनांक-22.11.2017 के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि दिनांक-21.09.2017 के घटनाक्रम की जाँच के सम्बन्ध में माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.के. दीक्षित दिनांक-06.12.2017 से 08.12.2017 के अपरान्ह तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के लक्ष्मणदास अतिथि गृह में रहेंगे।

अतः सूचित किया जाता है कि दिनांक-07.12.2017 व 08.12.2017 को प्रातः 11.00 बजे से कोई भी व्यक्ति तथा विश्वविद्यालय के छात्र-छात्रा साक्ष्य, अतिरिक्त साक्ष्य तथा तर्क अथवा अपना पक्ष जाँच समिति के समक्ष काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के लक्ष्मणदास अतिथि गृह कमरा न0 313 में प्रस्तुत कर सकता है।

आप से निवेदन है कि इस सूचना को वृहद रूप से छात्र/छात्राओं में प्रसारित करने की कृपा करें।

भवदीय,

बी.एस. विद्यार्थी  
सहायक कुलसचिव 5/12/17  
(सामान्य प्रशासन)

पत्रांक आर/जीएडी/समिति/56/39670

तददिनांक-05/12/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्री राम कुमार गुप्त, एच.जे.एस., सचिव, बी.एच.यू. घटना जाँच समिति
2. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को तत्काल विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था करे।
3. समन्वयक, संगणक केन्द्र, इस निवेदन के साथ कि उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
4. सहायक कुलसचिव एवं कुलपति के सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
5. कुलसचिव के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

श्री कमलेश जी/श्री हरिवंश जी



आरंभ कायदा हेतु



एक कदम स्वच्छता की ओर

बी.एस. विद्यार्थी  
सहायक कुलसचिव 5/12/17  
(सामान्य प्रशासन)